भारतीय पुनर्वास परिषद्

सत्यमेव जयते

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम

एक सिंहावलोकन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

तथा

मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

द्वारा संयुक्त रूप से विकसित

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

सर्वाधिकार सुरक्षित

यह दस्तावेज़ भारतीय पुनर्वास परिषद् की पूर्णतः संपत्ति है। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा आरसीआई की पूर्व अनुमति के बिना रिट्रीवल प्रणाली में पुनःप्रकाशित, संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ में व्यक्त विचार लेखक के हैं न कि आरसीआई के।

आरसीआई के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट ***www.rehabcouncil.nic.in*** पर देखी जा सकती है

मार्च, 2021 फाल्गुन 1942 (शक)

भारतीय पुनर्वास परिषद्

सत्यमेव जयते

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम

एक सिंहावलोकन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
तथा
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार
द्वारा संयुक्त रूप से विकसित

थावरचन्द गेहलोत
THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

संदेश

दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन किया गया है । विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1978 में अल्मा-अता घोषणा किए जाने के बाद सीबीआईडी को शुरू किया गया था । गैर-सरकारी संगठनों और दिव्यांगजन संगठनों के सहयोग से स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पुनर्वास सेवाओं तक दिव्यांगजनों की पहुंच में सुधार करने की कार्यनीति के रूप में इसे बढ़ावा दिया गया था।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनमें दिव्यांगजनों के समावेशन में तेजी लाने और डिजिटल अंतराल (डिवाइड) को कम करने के लिए समुदाय आधारित समावेशी विकास की क्षमता को स्वीकार किया गया है ।

दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए नवंबर, 2018 में भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त एमओयू के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से पहला समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम देश भर में समुदाय स्तर पर दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों का हल

क्रमशः............2/-

सत्यमेव जयते

करने के लिए प्रशिक्षित समुदाय आधारित पुनर्वास कर्मचारियों के एक पूल को तैयार करने में सहायक होगा ।

मुझे इस कार्यक्रम के साथ-साथ सीबीआईडी गाइड बुक को लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। मैं डीईपीडब्ल्यूडी, आरसीआई, मेलबोर्न विश्वविद्यालय और अन्य विशेषज्ञों की पूरी टीम को इस कार्यक्रम और कार्यक्रम गाइड बुक को तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं । मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम को देश भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाएगा ।

30.3.21

(थावरचन्द गेहलोत)

कृष्ण पाल गुर्जर
KRISHAN PAL GURJAR

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मैं 'समुदाय आधारित समावेशी विकास' (सीबीआईडी) कार्यक्रम (छह माह) को तैयार करने में उनकी संयुक्त पहल के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली और मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी विशेषज्ञों को भी हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसकी विषयवस्तु को तैयार करने में योगदान दिया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुनर्वास स्टेकहोल्डरों से अपेक्षित सहायता के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना है। मुझे आशा है कि यह पाठ्यक्रम देश भर के शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए उपयोगी होगा और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामुदायिक बदलाव लाने में योगदान देगा।

(कृष्ण पाल गुर्जर)

नई दिल्ली
दिनांक 06.04.2021

Office : 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001 Tel.: 011-23072192, 23072193, Fax : 011-23072194

शकुन्ताला डी. गामलिन, भा.प्र.से.
सचिव

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

प्रस्तावना

एक जिम्मेदार सरकार अपने नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझती है और दिव्यांगजनों के हितलाभ के लिए नए कार्यक्रम बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगता के किसी न किसी रूप के साथ रह रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जीवन के विभिन्न पहलुओं – शैक्षिक, सामाजिक, विधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक– में दिव्यांगजनों के अधिकारों और गरिमा का संवर्धन तथा रक्षा करता है।

विकास के इस प्रतिमान में, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के संबंध में सामाजिक कार्यवाही का विशेष महत्व है। सभी हितधारकों, विशेष रूप से प्राथमिक हितधारकों और आधारभूत स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले पदाधिकारियों को दिव्यांगजनों के मुद्दों की गहरी समझ रखने के साथ–साथ सामाजिक कार्यवाही के तौर–तरीकों को उचित रूप से आत्मसात करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मध्य नवम्बर, 2018 में हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन के अनुपालन में भारतीय पुनर्वास परिषद् और मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) कार्यक्रम विकसित करने के लिए पहल की गई थी। समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रंटलाइन समुदाय के कार्यकर्ताओं का एक संवर्ग विकसित करना है जो दिव्यांग–मित्र होंगे और दिव्यांगजनों के प्रति साम्यता तथा प्रतिभागिता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। दिव्यांग–मित्र महत्वपूर्ण स्तर पर आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के साथ निकट समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।

मैं इस कार्यक्रम को मिलकर तैयार करने और इसके विकास हेतु किए गए अथक प्रयासों के लिए निर्बाध सहयोग देने हेतु **श्रीमती तारिका राय, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी, डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई, डॉ. नाथन ग्रिल्स, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, प्रो. लिंडसे गेल, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, डॉ. भूषण पुनानी, बीपीए, अहमदाबाद, डॉ. सारा वर्गिस, सीबीएम, भारत, श्री कार्मो नोरोन्हा, बेथानी सोसाइटी, शिलांग, श्री पंकज मारू, मध्य प्रदेश, प्रो. सुजाता भान, एसएनडीटी, विश्वविद्यालय, मुंबई, डॉ वर्षा गट्टू, एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई और श्री संदीप ठाकुर, एसीई, आरसीआई** और अन्य प्रख्यात विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करती हूं।

मुझे पूर्ण आशा है कि सीबीआईडी कार्यक्रम निकट भविष्य में समुदाय की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुनर्वास संबंधी जनशक्ति में मौजूदा कमी को पूरा करेगा।

(शकुन्ताला डी. गामलिन)

प्रोफेसर माइकल वेस्ले
उप कुलपति
इंटरनेशनल

मेलबोर्न विश्वविद्यालय
पार्कविले वीआईसी 3010,
ऑस्ट्रेलिया

संदेश

मैं समुदाय आधारित समावेशी विकास पाठ्यक्रम को प्रारंभ किए जाने की घोषणा से अत्यधिक प्रसन्नचित हूं। यह मेलबोर्न विश्वविद्यालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग के मध्य एक सहयोगात्मक और उत्पादक संबंध की परिणति है। यह पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ब्रूस बोनीहैडी, नाथन ग्रिल्स और गेल के सहयोग के साथ माननीय मंत्री गहलोत और सचिव गामलिन की कड़ी मेहनत का प्रमाण है।

यह ध्यान देने योग्य है कि मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सामरिक दृष्टिकोण में मेलबोर्न विश्वविद्यालय और भारतीय संस्थानों के मध्य बढ़ते हुए सह–संबंध शामिल हैं। हमने इस रणनीति को 2019 में दिल्ली में प्रारंभ किया था, जिस समय हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय गहलोत जी के साथ कार्य के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी चर्चा की थी।

इस रणनीति में विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ भागीदार के रूप में संबंध का उल्लेख किया गया है और भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने के बारे में कहा गया है।

यह उत्पादक संबंध केवल दिव्यांगता और शिक्षा में विश्वविद्यालय के विशेषज्ञता के स्तर पर आधारित नहीं है – हालांकि यह निश्चित रूप से इस संबंध में विश्व में अग्रणी है। न ही यह विशुद्ध रूप से दिव्यांगजनों के कुशलक्षेम में सुधार करने के लिए नए और आकर्षक पाठ्यक्रमों को विकसित करने में विशुद्ध रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की क्षमता पर आधारित है, हालांकि इसके पास महत्वपूर्ण क्षमता है। इसके बजाय यह पाठ्यक्रम परस्पर विश्वास पर आधारित है जो मंत्रालय और मेलबोर्न विश्वविद्यालय के बीच बना है।

2019 में, विश्वविद्यालय की भारत रणनीति को प्रारंभ किए जाने के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने फरवरी 2019 में हमारे कुलाधिपति और फिर वीसी, डीवीसीआई, एआईआई के निदेशक, एमडीएचएस के संकायाध्यक्ष और नाथन ग्रिल ने अगस्त 2019 में भेट की। हमने 2018, 2019, 2020 में तीन अलग–अलग दौरों पर

मेलबोर्न विश्वविद्यालय का दौरा करने आए सचिव, तीन संयुक्त सचिव और भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रमुख की मेजबानी की थी।

इन संयोजनों पर उच्चायोग और हमारे भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर हमने दिव्यांगता से संबंधित एक भारत–ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए कार्य किया। भारत के राष्ट्रपति की 2018 की यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमने पहले से ही समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है।

इसने समुदाय आधारित समावेशी दिव्यांगता पाठ्यक्रम को सह–डिजाइन करने के लिए सहयोग को समर्थ बनाया है। दो विश्वविद्यालय संस्थानों (नोसल इंस्टीट्यूट और मेलबोर्न डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट) ने इस पाठ्यक्रम को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ मिलकर कार्य किया। पाठ्यक्रम को अब पूरे भारत में प्रारंभ किया जाएगा और हम कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए अकादमिक विशेषज्ञता प्रदान करते रहेंगे।

हम न केवल यह आशा करते हैं कि यह पाठ्यक्रम भारत के साथ हमारे संबंधों को बेहतर करेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे दिव्यांग लोगों के लिए समावेशी विकास पर पहुँच में सुधार होगा।

सादर,

प्रोफेसर माइकल वेस्ले
उप कुलपति इंटरनेशनल,
मेलबोर्न विश्वविद्यालय

प्रो. नाथन ग्रिल्स
जन स्वास्थ्य चिकित्सक
ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान– वरिष्ठ अनुसंधान सलाहकार

मेलबोर्न विश्वविद्यालय
पार्कविले वीआईसी 3010,
ऑस्ट्रेलिया

संदेश

तीन साल की विशेषज्ञ आयोजना और तैयारी के बाद यह अत्यधिक उत्साहजनक है कि यह ध्यानपूर्वक विकसित समुदाय आधारित समावेशी विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह मेलबोर्न विश्वविद्यालय (द नोसल इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट और मेलबोर्न डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट) और अपने राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् सहित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के मध्य एक उत्साहवर्धक तथा उपयोगी साझेदारी की परिणति है। महत्वपूर्ण रूप से यह पाठ्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि भारत में दिव्यांगजनों को उनके फलने–फूलने के लिए आवश्यक सेवाएं और समर्थन प्राप्त हो।

भारत में, लगभग 26.8 मिलियन लोग दिव्यांग हैं जो इसकी जनसंख्या का लगभग 2.21 प्रतिशत है। मोदी सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित करके और सुगम्य भारत जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करके दिव्यांगजन समावेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।

ऑस्ट्रेलिया विश्व की पहली राष्ट्रीय दिव्यांगजन बीमा योजना के साथ दिव्यांगता समावेश और दिव्यांगता वित्त–पोषण को बढ़ावा देने में विश्व में अग्रणी रहा है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के नोसल इंस्टीट्यूट का दिव्यांगता परियोजना के त्वरित आकलन, जीएचजीएन उत्तराखंड क्लस्टर, सीबीआर परियोजना अनुसंधान (ईएचए) और डीपीओ संरचना मॉडल के विकास सहित भारत में दिव्यांगता अनुसंधान का एक लंबा इतिहास रहा है।

डीईपीडब्ल्यूडी और मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने इस सीबीआईडी पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए हमारी संयुक्त विशेषज्ञता को आधार लिया है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय दिव्यांगता पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के विकास में शामिल थी (दिसंबर 2018) जिसमें दिव्यांगता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त विकास को निर्दिष्ट किया गया था। भारत के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अनुरूप माननीय मंत्री गहलोत ने 2019 में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एलन मायर और कुलपति डंकन मस्केल के साथ कार्य

कार्यक्रम को और विकसित करने के लिए भेट की। इस सीबीआईडी पाठ्यक्रम को विकसित करने में माननीय मंत्री गहलोत के नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए।

अतः पहला सक्षमता–आधारित ढांचाबद्ध पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद्, डीईपीडब्ल्यूडी के माध्यम से विकसित किया गया था। सीबीआईडी पाठ्यक्रम के विकास में सर्वेक्षणों, कार्यशालाओं, क्षेत्र परीक्षणों, प्रशिक्षणों और विशेषज्ञ बैठकों के विभिन्न दौर शामिल थे। हमें प्रोफेसर लिंडसे गेल और प्रोफेसर ब्रूस बोनीहैडी (मेलबोर्न डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट) का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने पाठ्यक्रम के विकास को सुकर बनाया।

नोसल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ और मेलबोर्न विश्वविद्यालय की ओर से, हम अपने सहयोगियों को इस उत्कृष्ट कार्यक्रम को बनाने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। यह सीबीआईडी पाठ्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव शकुन्ताला गामलिन के प्रेरणादायी नेतृत्व और मित्रता के बिना संभव नहीं होता। हम आरसीआई के सदस्य सचिव डॉ. सुबोध का भी अभिवादन करते हैं, जिनकी उत्कंठा से यह परियोजना फलीभूत हुई है।

हम आशा करते हैं कि डीईडब्ल्यूपीडी और आरसीआई की विशेषज्ञता, सुग्राही करण और नेतृत्व के साथ, इस पाठ्यक्रम को समूचे देश में इस प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकेगा जिससे दिव्यांगजनों के कुशलक्षेम में सुधार हो। एशिया में शीर्ष दर्जे वाले और दुनिया में 32वें स्थान वाले विश्वविद्यालय के रूप में मेलबोर्न विश्वविद्यालय, सीबीआईडी कार्यक्रम को शुरू करने, इसके मूल्यांकन और उन्नयन में सहायता के लिए तत्पर है।

प्रो. नाथन ग्रिल्स (डीपीएचआईएल, डीपीएच, एमबीबीएस, एमपीएच)
जन स्वास्थ्य चिकित्सक (एफएएफपीएचएम)
ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान– वरिष्ठ अनुसंधान सलाहकार

लिंडसे गेल
(पीएचडी)| रिसर्च फेलो

मेलबोर्न विश्वविद्यालय
पार्कविले वीआईसी
3010, ऑस्ट्रेलिया

संदेश

भारत जैसे एक ऐसे देश जो चालीस से अधिक वर्षों से दिव्यांगजन समर्थन और समावेशी विकास के लिए समुदाय–आधारित प्रतिउत्तर मुहैया करवा रहा है, के लिए सीबीआईडी प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम के विकास पर भारतीय सीबीआर विशेषज्ञों के साथ कार्य करना सौभाग्यशाली रहा है। इस नए सक्षमता आधारित सीबीआईडी प्रमाण–पत्र के डिजाइन, जिसके लिए विशेषज्ञ सहयोग अपेक्षित है, हेतु दृष्टिकोण द्वारा सहयोग को सहायता मिली है। परिणामत:, हम दिव्यांगता समावेश, सीबीआईडी फील्डवर्क, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विकास और शैक्षणिक डिजाइन में विशेषज्ञों को एक साथ ला पाए हैं। मैं विशेष रूप से भारतीय विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इसमें प्रतिभागिता की और अभी भी इस कार्य के चार में से एक या अधिक चरणों में भाग ले रहे हैं :

1. **एक सीबीआईडी 'अधिगम पथ' का निर्माण और परीक्षण।** वर्ष 2019 में, 30 से अधिक भारतीय सीबीआईडी विशेषज्ञों ने दो ऑनलाइन डेल्फी विशेषज्ञ पैनलों में भाग लिया और 6 ने सीबीआईडी फील्ड वर्कर अधिगम पथ का मसौदा तैयार करने के लिए मेलबोर्न में एक सप्ताह की एक कार्यशाला में भाग लिया। इस प्रस्तावित पथ को परीक्षण के लिए फील्ड में ले जाया गया, जिसमें और 34 सीबीआईडी विशेषज्ञ शामिल थे तथा उन्होंने सीबीआईडी कौशल के विभिन्न स्तरों को सत्यापित करने के लिए 100 प्रैक्टिस कर रहे सीबीआईडी फील्ड वर्करों का आकलन किया।

2. **एक संरेखित पाठ्यक्रम का विकास।** आधारभूत अधिगम पथ के विकास और सत्यापन के पश्चात, 19 विशेषज्ञों की एक और टीम ने कार्यशालाओं के एक दूसरे सप्ताह में प्रतिभागिता की थी– इस बार दिल्ली में आरसीआई मुख्यालय में, जो अधिगम पथ के अनुरूप 6 माह के पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए थी। टीम के अग्रणियों और सदस्यों, जिन्होंने पाठ्यक्रम के तीन प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों में कार्य किया, उनका नाम लेकर आभार व्यक्त किया जाना चाहिए :

क) *समावेशी सामुदायिक विकास–* कार्मो नोरोन्हा (बेथानी सोसाइटी, शिलांग) के नेतृत्व में टीम में उमेश कुमार (सीबीएम), वर्षा गट्टू (एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई), पंकज मारू (स्पेशल नीड्स एजुकेशन होम), और शिशिर चौधरी (भारतीय विकलांग जन फोरम) शामिल थे।

ख) *व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास–* सारा वर्गीज (सीबीएम इंडिया) के नेतृत्व में टीम एडिलीन सिथर (सीएमसी वेल्लोर), फेयरलीन सोजी (सीबीएम), और जाचिन वेलावन (सीएमसी वेल्लोर) शामिल थे।

ग) *मूल्यांकन और हस्तक्षेप–* भूषण पुनानी (ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन) के नेतृत्व में टीम में जुबिन वर्गीज (ईएचए इंडिया), लीला एग्नेस (सीएचएआई), सुजाता भान (एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई), और विशाल गुप्ता (सीएचएआई) शामिल थे।

3. **प्रायोगिक रूप से प्रारंभ करना।** इस तरह के व्यापक कार्यकरण और 2020 के कठिन वर्ष में जारी रहने वाले अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, परियोजना को इस स्तर पर देखना अद्भुत है।

4. **मूल्यांकन और उन्नयन।** मेलबोर्न विश्वविद्यालय कार्यक्रम के मूल्यांकन और इसके देश–व्यापी उन्नयन को सहायता प्रदान करने के अकादमिक विशेषज्ञता प्रदान करना जारी रख सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ्यक्रम नए सीबीआईडी कार्यकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य को अपनी सक्षमता से संचालित करने का अवसर प्रदान करेगा।

LGale

लिंडसे गेल

Melbourne School of Population and Global Health
Nossal Institute for Global Health

भारतीय पुनर्वास परिषद्
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार
के अधीन एक सांविधिक निकाय
बी–22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली –110016

सत्यमेव जयते

भारतीय पुनर्वास परिषद्

डॉ. सुबोध कुमार
सदस्य सचिव

संदेश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत और आस्ट्रेलिया सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन के अनुपालन में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के साथ पहले सक्षमता आधारित ढांचागत पाठ्यक्रम नामतः 'समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम' के लिए उपयुक्त सामग्री और तौर–तरीके विकसित करने की जिम्मेदारी भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) को सौंपी गई है।

परिषद् ने सीबीआईडी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक रोड मैप बनाने और रणनीति तैयार करने हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला सहित आमने–सामने और वर्चुअल माध्यम से कई बैठकों का आयोजन किया। अब परिषद् ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सीबीआईडी कार्यक्रम का सिंहावलोकन, इसकी पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यचर्या, अनुदेशक की मार्गदर्शिका चरण–1, चरण–2 और चरण–3, अनुदेशकों के लिए व्याख्यात्मक नोट्स और संदर्भ सामग्री को विकसित कर लिया है।

मैं सीबीआईडी पाठ्यक्रम को तैयार करने में उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए **श्रीमती शकुन्ताला डी. गामलिन, भा.प्र.से., सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्षा, आरसीआई** के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं उनके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस सीबीआईडी पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए **श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का भी** आभारी हूं।

मैं **प्रो. नाथन ग्रिल्स, प्रो. लिंडसे गेल, डॉ. भूषण पुनानी, श्री कार्मो नोरोन्हा, डॉ. सारा वर्गीज, श्री पंकज मारू, डॉ. सुजाता भान, डॉ. वर्षा गट्टू** और सभी प्रख्यात विशेषज्ञों का सीबीआईडी कार्यक्रम विकसित करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत, लगन से किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस अवसर का उपयोग आरसीआई की टीम के लिए सराहना को दर्ज करने के लिए भी करता हूं जिसने इसे मूर्त रूप देने के लिए लगातार कार्य किया है। आरसीआई विशेष रूप से **श्री संतोष पाल, सहायक सचिव, आरसीई, श्री संदीप ठाकुर, एसीई, श्री संजय मित्तल, पीओ और श्रीमती रीना रानी, सुश्री कृतिका गुप्ता, श्री राजन और आरसीआई के प्रशासनिक और लेखा विभाग के अन्य अधिकारीगणों** के अथक प्रयासों की सराहना करता है।

यह कार्यक्रम प्रख्यात विशेषज्ञों, डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई के अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम पूरे देश में पुनर्वास कर्मियों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, पुनर्वास कर्मियों और पेशेवरों तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित!

(डॉ. सुबोध कुमार)
सदस्य सचिव

संचालन समिति :

श्रीमती शकुन्ताला डौले गामलिन, भा.प्र.से.

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्षा, भारतीय पुर्नवास परिषद्

श्रीमती तारिका रॉय,

संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. सुबोध कुमार,

सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली

विकास समिति :

पाठ्यक्रम अनुदेशक :

डॉ. नाथन ग्रिल्स,

एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

प्रो. लिंडसे गेल,

एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

मॉड्यूल I : समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)

श्री कार्मो नोरोन्हा,

कार्यकारी निदेशक, बेथानी सोसायटी, शिलांग

श्री पंकज मारू,

संस्थापक अध्यक्ष, स्नेह, नागदा, मध्य प्रदेश

मॉड्यूल II : आकलन और हस्तक्षेप (ए एण्ड आई)

डॉ. भूषण पुनानी,

कार्यकारी सचिव, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री जुबिन वर्गीज,

ईएचए अस्पताल, देहरादून

मॉड्यूल III : व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास (पीबीआरपी)

श्रीमती सारा वर्गीज,

कंट्री डायरेक्टर, क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

सुश्री जेचिन वेलेवन,

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

सामग्री डेवलपर और संपादक :

प्रो. सुजाता भान,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई

डॉ. वर्षा गट्टू,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एवाईजेएनआईएसएचडी (दिव्यांगजन), मुंबई

यूनिट लेखक :

श्री अखिल पॉल,
निदेशक, सेंस इंटरनेशनल इंडिया, अहमदाबाद

सुश्री नंदिनी रावल,
कार्यकारी निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री विमल थवानी,
परियोजना निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री किन्नरी देसाई,
परामर्शी प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री एडलिन सिथर,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

श्री विशाल गुप्ता,
कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएचएआई), हैदराबाद

श्री उमेश,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, दिल्ली

सुश्री लीला एग्नेस,
होली क्रॉस सोसाइटी, बैंगलोर

सुश्री फेयरलेन सोजी,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

श्री शिशिर कुमार,
नमन जबलपुर, मध्य प्रदेश

सुश्री मेघना कश्यप,
मनोवैज्ञानिक, बैंगलोर

श्री भरत जोशी,
प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

श्री जगन्नाथ मल्लिक,
ऑर्थो– प्रोस्थेटिक इंजीनियर, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

कार्यक्रम समन्वयक :

श्री संदीप ठाकुर, एसीई, आरसीआई

विषय–वस्तु

विवरण	**पृष्ठ सं.**
भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) के बारे में	1
मेलबोर्न विश्वविद्यालय के बारे में	5
सीबीआईडी कार्यक्रम में सहयोग और सह–डिजाइनिंग	7
सीबीआईडी का उद्देश्य और दृष्टिकोण	11
एक सीबीआईडी कर्मी के कार्य क्षेत्र	12
कार्यक्रम के विनियम	13
सीबीआईडी कार्यक्रम का संचालन और परीक्षा योजना	14
सीबीआईडी कार्यक्रम का ढांचा और परीक्षा पैटर्न	15
शुल्क, आवेदन फार्म, दिशानिर्देश	22

भारतीय पुनर्वास परिषद् के बारे में

ifjdYiuk

एक ऐसा सुकर परिवेश तैयार करना जो मानव अधिकारों और समावेशन के सिद्धांतों के आधार पर दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में उच्चतम मानकों के लिए सुविधा प्रदान करने के एकमात्र और अंतिम उद्देश्य हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और समग्र पुनर्वास सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता मुहैया करवाने के लिए अभिसारित प्रयासों को प्रतिबिंबित करता हो।

fe'ku

- *सक्षमता के माध्यम से उभरते पुनर्वास व्यवसायियों के द्वारा पुनर्वास में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करना और देश भर में दिव्यांगजनों के जीवन चक्र की जरूरतों को पूरा करना*
- *मानव और सामग्री के विकास में उच्चतम शिक्षा, प्रशिक्षण में समग्र सेवाओं की तैयारी और वितरण के लिए संसाधन, पुनर्वास, कौशल, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्राप्य मानकों को बढ़ावा देना*
- *दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यवसायियोंको तैयार करना जो उनके लिए अधिकारों, सम्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेंगे।*
- *देश के गैर–सेवारत और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पुनर्वास व्यवसायियोंके प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।*
- *यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान फोकस क्रॉस दिव्यांगता, समावेश और बहु–क्षेत्रीय अभिसरण में प्रशिक्षण में है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के समुदायों में स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास से जीने के लिए प्रेरित करता है।*

पुनर्वास परिषद् की स्थापना विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में समरूपता, न्यूनतम मानकों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 1986 के संकल्प सं.22–17/83–एच.डब्ल्यू. III के तहत 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत की गई थी। इसे दिनांक 22 जून, 1993 से प्रभावी संसद के एक अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम को और व्यापक बनाने के लिए, संसद द्वारा इसे वर्ष 2000 (2000 की संख्या 38) में संशोधित किया गया।

इस अधिनियम में पुनर्वास व्यवसायियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित एवं निगरानी करने, दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा और जुड़े मामलों के लिए उपचारात्मक या आकस्मिक चिकित्सा में अनुसंधान को बढ़ावा देने; तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के रखरखाव के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् के गठन का उपबंध किया गया है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर और पुष्टि करके, भारत ने भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम सहित सभी घरेलू कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस सम्मेलन ने दिव्यांगजनों के समावेशन को केंद्र में रखा है ताकि इस सम्मेलन के उपबंधों को सच्ची निष्ठा से लागू किया जा सके। तदनुसार, भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा विकसित और मानकीकृत विभिन्न पुनर्वास पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्याओं में लगातार संशोधन किया जा रहा है ताकि यूएनसीआरपीडी में किए गए संगत उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना के साथ, दिव्यांगता की श्रेणियों को 07 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, इस प्रकार, अधिनियम में अधिसूचित दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु प्रावधान करने के लिए परिषद् की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परिषद् ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण में दिव्यांगता विशिष्ट सामग्रियों को शामिल करने और नए पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू कर दी है।

Hkkjrh; iquokZl ifj"kn~ vf/kfu;e] 1992 ds çeq[k çko/kku

ifj"kn~ ds mís';

1. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करना और उन पर निगरानी करना।
2. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत विभिन्न श्रेणी के व्यवसायियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
3. देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में एकरूपता लाने के लिए इन मानकों को विनियमित करना।
4. मंत्रालय को भारत में पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालयों, आदि द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं की मान्यता से संबंधित सिफारिशें करना।
5. मंत्रालय को भारत से बाहर के संस्थानों द्वारा अर्हता की मान्यता के संबंध में सिफारिशें करना।
6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता धारक व्यक्तियों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) का रखरखाव करना।
7. अनुमोदित संस्थानों में सतत् पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।
8. पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

ifj"kn~ ds dk;Z

1. भारत के किसी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान द्वारा स्वीकृत वही अर्हताएं पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों के लिए मान्य अर्हताएं होंगी जो अनुसूची में शामिल की गई हैं।

2. कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान जो पुनर्वास व्यवसायियों के लिए ऐसी अर्हता प्रदान करता है जो अनुसूची में शामिल नहीं हैं, वह केंद्र सरकार को ऐसी अर्हता की मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करे और केंद्र सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात, अधिसूचना द्वारा अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी ताकि उसमें ऐसी अर्हता शामिल हो जाए और ऐसी किसी अधिसूचना द्वारा यह भी निर्देश दे सकती है कि अनुसूची के अंतिम कॉलम में ऐसी अर्हता के लिए यह प्रविष्टि तभी दर्ज की जाएगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात प्रदान की गई हो।

3. परिषद्, किसी अन्य देश में किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के साथ अर्हताओं की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक योजना बनाने के लिए समझौता कर सकेगी। ऐसी किसी भी योजना के अनुसरण में, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि उसमें ऐसी किसी अर्हता को शामिल किया जा सके, जिसे परिषद् ने उसे मान्यता दिए जाने का निर्णय लिया हो और इस तरह की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्देश दे सकेगी कि अनुसूची के अंतिम कॉलम में यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाए कि वह अर्हता तभी मान्यता प्राप्त होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात प्रदान की गई हो।

4. इस अधिनियम के साथ संबद्ध अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता रखने वाले व्यक्तियों की केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों का पंजीकरण।

5. भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता प्रदान करने के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

6. पुनर्वास व्यवसायियों के लिए पेशे के मानक, आचरण तथा शिष्टाचार और आचार संहिता निर्धारित करना।

7. पुनर्वास के क्षेत्र में व्यवसायियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों/विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करना तथा अनुमति प्रदान करना और सरकार द्वारा उनकी मान्यता और इसकी वापसी को सुविधाजनक बनाना।

8. परिषद्, ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान जिसमें पुनर्वास व्यवसायियों के लिए शिक्षा दी जाती हो, का निरीक्षण करने या मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हताएं प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उतनी संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है जो वह अपेक्षित समझे।

vkjlhvkbZ vf/kfu;e ds rgr iquokZl is'kooj@dkfeZd dh Js.kh;k

1. श्रवण विज्ञानी और वाणी चिकित्सक
2. नैदानिक मनोविज्ञानी
3. श्रवण और कर्ण उपकरण तकनीशियन
4. पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन

5. दिव्यांगजनों के शिक्षण और प्रशिक्षण करने के लिए विशेष शिक्षक
6. दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी और नियोजन अधिकारी
7. बहुउद्देश्यीय पुनर्वास चिकित्सक और तकनीशियन
8. वाणी रोगविज्ञानी
9. पुनर्वास मनोविज्ञानी
10. पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता
11. मानसिक मंदता में पुनर्वास चिकित्सक
12. अनुकूलन और गतिशीलता विशेषज्ञ
13. समुदाय आधारित पुनर्वास पेशेवर
14. पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक
15. प्रोस्थेटिक्स विशेषज्ञ और ऑर्थोटिक्स विशेषज्ञ
16. पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक
17. समय–समय पर शामिल किए गए व्यवसायियों की कोई अन्य श्रेणी

वर्तमान में, परिषद् ने प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और एम.फिल स्तर पर 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण किया है, जिनकी पूरे देश में 650 प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालय विभाग में आमने–सामने के माध्यम से पेशकश की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, बी.एड. विशेष शिक्षा–ओडीएल पाठ्यक्रम की भी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा उनके स्थानिक क्षेत्राधिकार के भीतर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से पेशकश की जाती हैं।

आरसीआई अपने केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में योग्य कार्मिकों और पेशेवरों के पंजीकरणों का अनुरक्षण और नवीनीकरण भी करता है जो विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अद्यतन तिथि के अनुसार, 1.64 लाख कार्मिक और पेशेवर विभिन्न श्रेणियों के तहत परिषद् के साथ पंजीकृत हैं।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय के बारे में

1853 में स्थापित, मेलबोर्न विश्वविद्यालय एक जन–भावना रखने वाला संस्थान है जो अनुसंधान, अधिगम और शिक्षण तथा नियोजन में समाज के लिए विशिष्ट योगदान देता है। यह लगातार विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में स्थान पाता है, विश्व विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के साथ इसे ऑस्ट्रेलिया में पहले स्थान पर और विश्व में 32वें स्थान पर रखा गया है (टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग 2017–2018)।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय एक जन अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 1853 में स्थापित, यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और विक्टोरिया में सबसे पुराना है। इसका मुख्य परिसर पार्कविले में स्थित है, जो मेलबोर्न के सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में एक आंतरिक उपनगर है, और विक्टोरिया भर में इसके कई अन्य परिसर स्थित हैं।

विक्टोरिया कॉलोनी द्वारा स्थापित मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के छह सैंड स्टोन विश्वविद्यालयों में से एक है और ग्रुप ऑफ ऐट, यूनिवर्सिटीज 21, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के मैकडॉनेल इंटरनेशनल स्कॉलर्स अकादमी और एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक रिम यूनिवर्सिटीज का सदस्य हैं। 1872 से विभिन्न आवासीय कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए हैं, जो छात्रों और संकायों के लिए आवास और शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। मुख्य परिसर और आस–पास के उपनगरों में दस कॉलेज हैं।

विश्वविद्यालय में दस अलग–अलग शैक्षणिक इकाईयां शामिल हैं और यह कई संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से संबद्ध है, जिनमें वाल्टर एण्ड एलिजा हॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ, मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च और ग्राटन इंस्टीट्यूट शामिल हैं। विश्वविद्यालय के पंद्रह स्नातक स्कूलों में मेलबोर्न बिजनेस स्कूल, मेलबोर्न लॉ स्कूल और मेलबोर्न मेडिकल स्कूल विशेष रूप से प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

टाइम्स हायर एजुकेशन ने 2017–2018 में विश्व स्तर पर मेलबोर्न विश्वविद्यालय को 32वें स्थान पर रखा, जबकि विश्वविश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग ने इसे दुनिया में 38वां स्थान दिया (दोनों ऑस्ट्रेलिया में पहले स्थान पर)। क्यूएस वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग 2019 में, विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर 39वें स्थान पर है और 2019 क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में छठे स्थान पर है। चार ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और पांच गवर्नर–जनरल मेलबोर्न विश्वविद्यालय के छात्र रहे है। दस नोबेल पुरस्कार विजेता इसके छात्र या संकाय रहे हैं, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय से सबसे अधिक हैं।

वस्तुतः, मेलबोर्न इकोनॉमिस्ट्स वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी पुरस्कार का सात बार का विजेता है, और साहित्य का एक यूनेस्को शहर है, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई रूल्स फुटबॉल की जन्मस्थली है और गलियों की कला, संगीत और थिएटर का एक प्रमुख केंद्र है।

मेलबोर्न छात्रों को एक ऐसा अनुभव मुहैया करवाने वाला माना जाता है, जो संरचित अधिगम से बहुत अधिक है। मुख्य पार्कविले परिसर परिवहन, कैफे, बाजार, कला और खेल स्थलों तथा आवास के काफी निकट है।

छात्रों को यहां परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों का एक शानदार विविधता मिलेगी, चाहे यह थिएटर, कॉमेडी, फिल्म या सार्वजनिक व्याख्यान हो, और यहां 200 से अधिक संबद्ध क्लबों और सोसाइटियों में से मेल खाने वाली रूचियों वाले लोगों को ढूंढना आसान है, शतरंज क्लब से विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं से लेकर चॉकलेट लवर्स सोसायटी शामिल है। 25 मीटर के छह लेन के गर्म इनडोर पूल, एक एथलेटिक्स ट्रैक और खेल के मैदान और बड़ी संख्या में फिटनेस जिम के साथ खेल प्रेमियों की जरूरते पूरी करने के लिए भी यहां बहुत कुछ है।

विश्वविद्यालय में 10 आवासीय कॉलेज हैं जहां अधिकांश छात्र रहते हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक नेटवर्क बनाने का एक सुलभ तरीका मुहैया कराते हैं। प्रत्येक कॉलेज शैक्षणिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुहैया करवाता है, जो विश्वविद्यालय जीवन के केंद्र में है।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय की डिग्री विदेशों में शीर्ष संस्थानों के अनुरूप मानी जाती है। छात्र एक प्रमुख विषय चुनने से पहले विषयों की तलाश में एक वर्ष बिताते हैं। वे अपनी चुनी गई विधा के विषयों के साथ–साथ उससे बाहर के विषयों का भी अध्ययन करते हैं, जिससे मेलबोर्न के छात्रों को ज्ञान का विस्तार मिलता है और उन्हें दूसरों से अलग बनाता है।

सीबीआईडी कार्यक्रम में सहयोग और सह–डिजाइनिंग

भारत में दिव्यांगता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त विकास को समाहित करने के लिए 22 नवंबर, 2018 को भारत सरकार और सामाजिक सेवा विभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता–ज्ञापन के अनुसरण में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के लिए नोसल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, मेलबोर्न विश्वविद्याल, आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ–सीबीआर दिशानिर्देश 2010 के अनुरूप एक सीबीआईडी कार्यक्रम विकसित करने की पहल की है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नोसल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सीबीआईडी कार्यक्रम के सह–डिजाइन की जिम्मेवारी भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआइ) को सौंपी है। तदनुसार, परिषद् ने देश में जमीनी स्तर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों को सुसज्जित करने के लिए प्रस्तावित समुदाय आधारित दिव्यांगता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अभिनवता, साक्ष्य और सहमति पर आधारित एक अवधारणा नोट विकसित किया है।

भारतीय संदर्भ में सीबीआईडी कार्यक्रम के सह–डिजाइन के लिए उनके अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए परिषद् द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई, डॉ भूषण पुनानी, कार्यकारी सचिव, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद, श्री कार्मो नोरनोहा, कार्यकारी निदेशक, बेथानी सोसायटी, शिलांग, डॉ सारा वर्गीस, सीबीएम, भारत, बैंगलोर शामिल थे।

उक्त समिति की बैठक 5 फरवरी, 2019 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान भारत में सीबीआर कार्यक्रम की विकास उपलब्धियां, आरसीआई द्वारा स्वीकृत सीबीआर कार्यक्रमों की स्थिति, डब्ल्यूएचओ सीबीआर दिशानिर्देशों के आलोक में आरसीआई के डीसीबीआर पाठ्यक्रम के घटकों और उप–घटकों की तुलना, सीबीआईडी कर्मियों की भूमिका, सीबीआईडी कर्मियों को अपनाया जाना, रोजगार के अवसर, पाठ्यक्रम की दृश्यता और परामर्शी/संदर्भ समूह की भूमिका पर चर्चा की गई। गहन विचार–विमर्श के पश्चात, यह निर्णय लिया गया था कि पहले चरण में 6 माह तक सीबीआईडी पर आमने–साने के कार्यक्रम को आरसीआई द्वारा नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से मिलकर तैयार किया गया जाएगा।

नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने डेल्फी सर्वेक्षण पद्धति को अपनाया और डेल्फी सर्वेक्षण में भाग लेने वाले विशेषज्ञों के लिए एक प्रश्नावली विकसित की। सीबीआर के क्षेत्र में काम कर रहे 95 विशेषज्ञों के समूह की परिषद् द्वारा सिफारिश की गई थी और 75 विशेषज्ञों ने प्रस्तावित सीबीआईडी कार्यक्रम हेतु दक्षता आधारित पाठ्यक्रम ढांचे के विकास के लिए डेल्फी सर्वेक्षण के सभी 03 दौरों में भाग लिया।

डेल्फी सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सीबीआईडी कार्यक्रम के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम ढांचे को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 05 दिनों की कार्यशाला का आयोजन 13–17 अप्रैल, 2019 तक मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय संदर्भ में सीबीआईडी कार्यक्रम के प्रारूप ढांचे को विकसित करने के लिए किया गया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2019 के पत्र सं. 13–03/2018–डीडी–तीन के माध्यम से मेलबोर्न में उक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया और इस प्रतिनिधिमंडल में गैर–सरकारी विशेषज्ञ यथा डॉ. भूषण पुनानी, डॉ. सारा वर्गीज, श्री कार्मो नोरोन्हा और श्री पंकज मारू शामिल थे।

प्रो. लिंडसे गेल और प्रो. नाथन ग्रिल्स की देखरेख और मार्गदर्शन में सभी विशेषज्ञों ने भारतीय संदर्भ में सीबीआईडी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं सहित डेल्फी सर्वेक्षण के परिणामों पर विचार–विमर्श किया। कार्यशाला के दौरान, सीबीआईडी में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम के लिए दक्षता आधारित प्रारूप पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित किया गया था जिसमें 6 महत्वपूर्ण दक्षता मानदण्ड यथा समझ, आकलन और लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और सेवा कार्यान्वयन, समुदाय नियोजर्न और नेटवर्किंग, मनोवृत्तियां और व्यवहार, अधिगम परिणाम पर केन्द्रित चिंतनशील अभ्यास, प्रवीणता संकेतक और गुणवत्ता मानदंड के ढांचे शामिल थे।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा 05 दिनों की तकनीकी कार्यशाला की अंतिम कार्यवाहियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया था। परिषद् द्वारा कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशों के अनुसार उचित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

सीबीआईडी कार्यक्रम को सह–डिजाइन करने के लिए तकनीकी समूह की एक और बैठक 14 जून, 2019 को डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आरसीआई में आयोजित की गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 09 विशेषज्ञों ने उक्त बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान दक्षता आधारित पाठ्यक्रम ढांचा और सीबीआईडी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के अन्य तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया गया था।

सीबीआईडी कार्यक्रम के लिए विषय–वस्तु और संसाधन सामग्री को विकसित करने के लिए आरसीआई में 16–21 सितम्बर, 2019 तक 06 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। बैठक श्रीमती शकुंताला डी. गामलिन, भा.प्र.से., सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्षा, आरसीआई की अध्यक्षता में हुई थी और इस कार्यशाला के दौरान श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, डॉ सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई भी उपस्थित थे तथा इस कार्यशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान,

सीबीआईडी कार्यक्रम के पाठ्यक्रम और सभी 03 दक्षता आधारित मानदंडों यथा समावेशी समुदाय विकास (आईसीडी), व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास (पीबीआरपी), आकलन और हस्तक्षेप (ए एंड आई) को अंतिम रूप दिया गया था। कार्यशाला की कार्यवाहियों को तैयार किया गया है और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सीबीआईडी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए रोडमैप विकसित करने हेतु बैठक का आयोजन 17 जनवरी, 2020 को सम्मेलन कक्ष, आरसीआई में श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में किया गया था। श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, डॉ सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई और अन्य विशेषज्ञ सीबीआईडी कार्यक्रम के सभी 03 मॉड्यूल के लिए स्व अध्ययन अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए बैठक में उपस्थित थे।

सीबीआईडी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों और सीबीआर में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के साथ बैठक का आयोजन 3 फरवरी, 2020 को आरसीआई में श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में किया गया था। बैठक के दौरान स्व अधिगम सामग्री (एसएलएम) के विकास की जिम्मेदारी सामग्री लेखकों और डेवलपरों को सौंपी गई थी। आगे यह निर्णय लिया गया कि सामग्री लेखक संबंधित सीबीआईडी समूहों के अध्यक्ष की देखरेख और मार्गदर्शन में एसएलएम विकसित करेंगे। अंतिम मसौदा एसएलएम 31 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

मेलबोर्न विश्वविद्यालय के आदानों के आधार पर सीबीआईडी कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना, सत्र योजनाओं और स्व–अधिगम सामग्री (एसएलएम) को सुसंगत करने के लिए संबंधित सीबीआईडी समूह के अध्यक्षों और सामग्री डेवलपर्स की बैठक 17 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी।

सीबीआईडी कार्यक्रम की सुसंगत पाठ्यक्रम संरचना, सत्र योजनाओं और स्व–अधिगम सामग्री (एसएलएम) का अंतिम मसौदा सामग्री डेवलपर्स और प्रो. लिंडसे गेल, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ था।

सीबीआईडी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित सीबीआईडी समूहों के अध्यक्षों, सामग्री डेवलपर्स, यूनिट लेखकों तथा आरसीआई और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों की बैठक 14.12.2020 को आयोजित की गई थी।

सीबीआईडी कार्यक्रम के संबंध में दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक 11 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, सभी दस्तावेजों को संकलित करने और सीबीआईडी दस्तावेजों के अंतिम मसौदे को आरसीआई को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था।

श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन, आईएएस, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, आरसीआई की अध्यक्षता में 28 दिसम्बर, 2021 को आयोजित सीबीआईडी कार्यक्रम के कोर समूह की बैठक के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए है।

- पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और सिंहावलोकन
- अनुदेशक की मार्गदर्शिका चरण–।
- अनुदेशक की मार्गदर्शिका चरण–।।
- अनुदेशक की मार्गदर्शिका चरण–।।।
- अनुदेशकों के लिए व्याख्यात्मक नोट्स
- संदर्भ सामग्री

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मार्च, 2021 के अंत तक इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

सीबीआईडी का उद्देश्य और दृष्टिकोण

दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) प्राचीन काल से निर्वाह पर आश्रित रहे हैं और उनका उल्लेख महान भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में पाया गया है। जहां कई दिव्यांगजनों के प्रयासों की सराहना की जाती है, जैसे हेलेन केलर, या एडिसन या आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक; उनके 'समावेश' के मुद्दे और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए समाज में कई रूपों और मॉडलों को देखा गया है। ये पूर्ण उपेक्षा से लेकर भूलने और छिपाने तक और बाद के दशकों में सामान्यीकरण के लिए इनका इलाज और उपचार करने तक वाले हैं। तथापि, सलामांका फ्रेमवर्क (1994) और यूएनसीआरपीडी (2006) जैसे विभिन्न ढांचों से वैश्विक समर्थन के कारण, दिव्यांगता को अब मानव विविधता माना जाता है और अतः, अब दिव्यांगजनों के पुनर्वास के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। भारत में हाल ही में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम (2016) समुदाय स्तर पर दिव्यांगजनों की भागीदारी और सहभागिता में सुधार करने के लिए सामुदायिक क्षमता निर्माण पर बल देता है, साथ ही उनके लिए आवश्यक समर्थन और तर्कसंगत समाहन के लिए उपबंध करता है। अधिनियम में दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता में सुधार करने और उन्हें राष्ट्र के नागरिकों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए उन्हें सशक्त करना परिकल्पित है।

'सीबीआईडी में प्रमाण–पत्र कोर्स' का दृष्टिकोण समुदाय– समावेशी सामुदायिक विकास की प्रक्रिया का जनतंत्रीकरण करना है– समुदाय द्वारा, समुदाय के लिए और समुदाय से। इस उद्देश्य के प्रति, पाठ्यक्रम में एक दोहरी ट्रैक एप्रोच है; (1) दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं के बारे में समुदाय कामगारों के मध्य ज्ञान, कौशल और सक्षमताएँ विकसित करना और एक निपुणता प्रदान करना ताकि दिव्यांगजनों को हाशिए पर जाने से रोक लगे और (2) 'दिव्यांग मित्र' जैसे सूत्रधार समुदाय के लिए बनाए जाएं जो दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की डिलीवरी में सहायता कर सकें।

मिशन

एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्षमताओं को विकसित करना है ताकि आरसीआई–प्रमाणित कर्मी :

1. सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की जल्द पहचान, हस्तक्षेप और विकास के लिए सामुदायिक मूल्यांकन और मैपिंग को सुकर बनाने।
2. दिव्यांगता–समावेशी सामुदायिक विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को लेना।
3. व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास को करना।

एक सीबीआईडी कर्मी का कार्य क्षेत्र

पाठ्यक्रम की अनूठी विशेषता प्रशिक्षण प्राप्तियों के रूप में प्रत्येक के पीए में सक्षमता का उत्तरोत्तर विकास है।

दिव्यांगता अप्रत्याशित है, लेकिन यह ठीक न होने वाली कोई बीमारी नहीं है और न ही यह संक्रामक है। यह भी भ्रांति है कि यह केवल बुजुर्गों को होती है। दिव्यांगजन एक संवेदनशील समूह हैं और उनके सशक्त नहीं होने पर स्वास्थ्य और शोषण के अधिक जोखिम होते हैं। बच्चे, युवा या कोई भी पुरुष और महिलाएं जिनके पास अस्थायी या स्थायी रूप से दिव्यांगता वाली स्थिति है, उन्हें समुदाय में दैनिक जीवन जीने में कठिनाई होती है। इनमें उनके सामाजिककरण, स्कूली शिक्षा, शिक्षा, संचार, विकास, पेशेवर प्रशिक्षण, गतिशीलता और इस प्रकार जीवन यापन के लिए अर्जन में बाधाएँ शामिल हैं। इन सीमाओं के साथ, दिव्यांगजन दूसरों पर और भी अधिक निर्भर हो जाते हैं, दिन–प्रतिदिन के मामलों के बारे में गलत सूचना या सूचना न होना, और क्षमता के बावजूद, देश के विकास में योगदान देने में कम सक्षम होते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भारत की 2–3 प्रतिशत जनसंख्या दिव्यांगता से ग्रसित है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है (सांख्यिकी मंत्रालय, 2016)।

इस सीबीआईडी प्रमाणपत्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, नए सीबीआईडी कर्मी अपने स्थानीय समुदाय में दिव्यांगजनों का सक्षम रूप से समर्थन करने में सक्षम होंगे और सभी के लिए समावेशी सामुदायिक विकास को सुकर बनाने के लिए दिव्यांग और दिव्यांग न होने वाले लोगों को एक साथ लाएंगे। 'दिव्यांग मित्र' के रूप में, प्रमाणित कर्मी, तब औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सरकारी या अन्य गैर–सरकारी एजेंसियों और संगठनों के साथ कार्य कर सकेंगे। उनकी क्षमता उन्हें सामाजिक बदलाव लाने, दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, कार्यस्थल पर और वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने में सक्षम बनाएगी। वे स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और दिव्यांगजनों की उनके अधिकारों और हकदारियों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे और एक नियोजित और भागीदारी पूर्ण सामुदायिक जीवन सुनिश्चित होगा।

सक्षम सीबीआईडी कर्मियों के पास कार्य संभावना की एक व्यापक गुंजाइश होगी– एक कार्यरत सामुदायिक कार्यकर्ता होने से लेकर एक समुदाय के 3 पीः लोग, ग्रह और लाभ के लिए कार्य करने वाले एक सामाजिक उद्यमी के रूप स्व–नियोजित क्षमता में कार्य करने के।

कार्यक्रम के विनियम

प्रमुख शब्दों की परिभाषा

कार्यक्रम : कार्यक्रम से आशय 3 मॉड्यूल का सेट है और यह सिद्धांत, अभ्यास और प्रयोग के पूरा होने पर प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने पर समाप्त होगा।

मॉड्यूल : सीबीआईडी कार्यक्रम के मॉड्यूल का आशय कई अधिगम विषयों के ज्ञान, समझ और उपयोग के वर्गीकरण के साथ शैक्षणिक रूप से एक सार्थक ढंग से एक साथ संयोजित यूनिटें शामिल होने वाला एक स्टैंड अलोन पाठ्यक्रम है। संयोजित पाठ्यक्रमों के 3 मॉड्यूल को एक साथ पूर्ण 'कार्यक्रम' माना जाता है।

आर–1 : **शीर्षक**: समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाण पत्र कार्यक्रम

आर–2 : **कार्यक्रम की अवधि** : कार्यक्रम की अवधि 6 माह की होगी। कार्यक्रम 6 माह की अवधि के लिए आरसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन आयोजित किया जाएगा जिसमें 6 घंटे के लिए प्रत्येक दिन सिद्धांत व्याख्यान और/या प्रयोग या अभ्यास कार्य शामिल होंगे।

आर–3 : **संव्यवहार का माध्यम** : कार्यक्रम को आमने–सामने माध्यम के साथ–साथ कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

आर–4 : **छात्र क्षमता**: शिक्षार्थियों के प्रत्येक प्रमाण–पत्र बैच में अधिकतम 40 शिक्षार्थी शामिल होंगे।

आर–5 : **शिक्षार्थियों की पात्रता** : किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से एसएससी (10वीं कक्षा की परीक्षा) सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाला कोई अभ्यार्थी सीबीआईडी प्रमाणपत्र कार्यक्रम के लिए शिक्षार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण तथा छूट यथा लागू केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार होगी।

आर–6: **उपस्थिति** : समूचे सिद्धांत घटक के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत और सभी अभ्यास तथा प्रायोगिक घटकों के लिए 90 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यकहै। सभी के पूर्णता प्रमाण–पत्र को शिक्षार्थी के पंजीकरण वाले संस्थान के प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

सीबीआईडी कार्यक्रम का संचालन और परीक्षा योजना

प्रशिक्षण संस्थानः पहले चरण में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान, परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी भागीदारों अर्थात सीबीआर के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात एनजीओ के सहयोग से सीबीआईडी कार्यक्रम का संचालन करेंगे। समुदाय आधारित कार्यक्रम में कार्यरत और उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे तथा संकाय वाले प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदन दिया जाएगा।

मूल्यांकनः कार्यक्रम के लिए पंजीकृत शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एक सतत् व्यापक आधार पर किया जाएगा। सभी 03 मॉड्यूल के पूरा होने पर कार्यक्रम के अंत में अंतिम परीक्षा देने की अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने वाले प्रशिक्षुओं का निम्न हेतु मूल्यांकन किया जाएगा :

क) एक *सतत् आधार* पर जब वे पाठ्यक्रम की निर्धारित बाधा, जर्नल, पोर्टफोलियो और सौंपे गए कार्य को पूरा करते हों;

ख) एक *योगात्मक आधार* पर प्रत्येक चरण के अंत में और पाठ्यक्रम के समापन पर, उनके प्रशिक्षक/नियोजन पर्यवेक्षक द्वारा पूर्ण किए गए एक व्यापक अवलोकन आकलन पर।

निर्देश का माध्यमः कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी या कार्यक्रम मार्गदर्शिका के प्रावधानों तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता के अधीन किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में आयोजित किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम सामग्रीः सीबीआईडी कार्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान शिक्षार्थियों को संगत सामग्री और सत्र योजनाएं मुहैया करवाएगा। प्रशिक्षण संस्थान शिक्षार्थी की जरूरतों के अनुसार अंग्रेजी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं या सुलभ स्वरूपों में अनुवाद करवा सकते हैं।

परीक्षाः विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास में प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के संबंध में एनबीईआर, 2018 की परीक्षा योजना के अनुसार कार्यक्रम की परीक्षाएं संचालित होगी।

सीबीआईडी कार्यक्रम का ढांचा और परीक्षा पैटर्न

क्र. सं.	के पी ए	सैद्धांतिक (घंटे)	प्रायोगिक (घंटे)
1	समावेशी सामुदायिक विकास	115.5	172.5
2	मूल्यांकन और हस्तक्षेप	115.5	172.5
3	व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास	57	87
	कुल	**288**	**432**
	सैद्धांतिक : व्यावहरिक (प्रतिशत)	**40**	**60**
	कुल घंटे	**720**	

प्रमुख निष्पादन क्षेत्र:

के पी ए I : समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)

यूनिट	मॉड्यूल	घंटे
यूनिट एक : सीबीआईडी अवधारणाओं और निहितार्थों का ज्ञान प्रदर्शित करना	मॉड्यूल 1 : समुदाय, दिव्यांगता और विकास	24
	मॉड्यूल 2 : दिव्यांगता और विधायी समर्थन के मॉडल	
	मॉड्यूल 3 : समावेश का समर्थन करने वाले सरकारी कार्यक्रम	
	मॉड्यूल 4 : आईसीडी के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण और संसाधन जुटाना	
यूनिट दो : समुदाय को नियोजित करना और उनकी प्रोफाइल बनाना	मॉड्यूल 1 : सामुदायिक नियोजन के लिए परिसंपत्ति आधारित दृष्टिकोण	84
	मॉड्यूल 2 : भागीदारी रणनीतियों की आयोजना और कार्यान्वयन	
	मॉड्यूल 3 : सामुदायिक बैठकों की आयोजना और संचालन	
	मॉड्यूल 4 : समुदाय की मैपिंग तथा प्रोफाइल बनाने के लिए रणनीतियाँ	

यूनिट	मॉड्यूल	घंटे
यूनिट तीन : सरकारी संरचनाओं के साथ कार्य	मॉड्चूल 1 : स्थानीय निकायों के साथ संपर्क	54
	मॉड्यूल 2 : सरकार के क्षेत्रीय संयोजनों के साथ नियोजन	
	मॉड्यूल 3 : वर्तमान स्थिति और अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन	
	मॉड्यूल 4 : आईडी लक्ष्यों के लिए रूचि और प्रतिबद्धता बनाए रखना	
यूनिट चार : सामुदायिक कार्यवाही को सपोर्ट करना	मॉड्यूल 1 : एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करना	102
	मॉड्यूल 2 : सामुदायिक प्राथमिकताओं का निर्धारण	
	मॉड्यूल 3 : नेटवर्क नियोजन और सहयोग करना	
	मॉड्यूल 4 : सभी नागरिकों के लिए परामर्श को सपोर्ट करना	
	मॉड्यूल 5 : सामुदायिक परियोजनाओं और अभियानों को लेना	
यूनिट पांच : सामुदायिक कार्यवाही को सपोर्ट करना	मॉड्यूल 1 : अग्रणियों की पहचान के लिए भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का उपयोग करना	24
	मॉड्यूल 2 : नेतृत्व कौशलों का विकास करना	
	मॉड्यूल 3 : अग्रणियों के लिए संसाधनों को नियोजित करना	
	मॉड्यूल 4 : समूह स्व प्रतिबद्धता और स्व–प्रभावोत्पादकता प्राप्त करना	
	कुल घंटे	**288**

प्रमुख निष्पादन क्षेत्रः

के पी ए II : आंकलन और हस्तक्षेप (ए एण्ड आई)

यूनिट	मॉड्यूल	घंटे
यूनिट एक : दिव्यांगता को समझना	मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता और व्यक्तियों तथा परिवारों पर इसके कार्यात्मक प्रभाव	36
	मॉड्यूल 2 : दिव्यांगता के मॉडल और सीबीआईडी प्रैक्टिस पर उनके प्रभाव	
	मॉड्यूल 3 : सरकारी योजनाएं और सहायता प्रावधान और प्रक्रियाएं	

यूनिट	मॉड्यूल	घंटे
यूनिट दो : आकलन और आयोजना	मॉड्यूल 1 : सकारात्मक कार्यकरण संबंध	57
	मॉड्यूल 2 : दिव्यांगता के लिए जांच	
	मॉड्यूल 3 : परिणामों की समीक्षा और व्याख्या करना	
	मॉड्यूल 4 : परिणाम और निष्कर्षों का संप्रेषण और उन पर चर्चा करना	
	मॉड्यूल 5 : एक सहयोगात्मक, शक्ति–आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके आवश्यकताओं का विश्लेषण	
	मॉड्यूल 6 : यथार्थवादी और आकांक्षात्मक योजना और लक्ष्य–निर्धारण का समर्थन करना	
यूनिट तीन : ज्ञान, संयोजनों और रेफरल को सुकर बनाना	मॉड्यूल 1 : उचित, समय पर जानकारी प्रदान करना	51
	मॉड्यूल 2 : प्रमाणन को सुकर बनाना	
	मॉड्यूल 3 : उपयुक्त सेवाओं के लिए लोगों का निर्धारण और उनका संयोजन	
यूनिट चार : बहु–क्षेत्रक हस्तक्षेप का सपोर्ट मुहैया करवाना	मॉड्यूल 1 : भूमिका के स्कोप में हस्तक्षेप की समझ का प्रदर्शन करना	144
	मॉड्यूल 2 : दिव्यांगजन के समग्र विकास में वृद्धि करना	
	मॉड्यूल 3 : सहायक और पुनर्वासात्मक उपकरणों की फिटिंग और प्रशिक्षण को सपोर्ट करना	
	मॉड्यूल 4 : शिक्षण अभिविन्यास और गतिशीलता तकनीक	
	मॉड्यूल 5 : विभिन्न तरीकों का उपयोग करके संप्रेषण	
	मॉड्यूल 6 : मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के साथ कार्य करना और उनका समर्थन करना	
	मॉड्यूल 7 : परिवार और अन्य करीबी लोगों को सपोर्ट करना	
	मॉड्यूल 8 : निगरानी और मूल्यांकन हस्तक्षेप	
	कुल घंटे	**288**

प्रमुख निष्पादन क्षेत्र:

के पी ए III : व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास

यूनिट	मॉड्यूल	घंटे
यूनिट एक : भूमिका अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना	मॉड्यूल 1 : भूमिका की व्यावहारिक और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को लेना	36
	मॉड्यूल 2 : विधिक और नैतिक रूप से कार्य करना	
	मॉड्यूल 3 : एक टीम में प्रभावी ढंग से काम करना	
यूनिट दो: कार्य और उत्तरदायित्वों का आयोजन और प्रबंधन	मॉड्यूल 1 : कार्य योजना तैयार करना	69
	मॉड्यूल 2 : आकस्मिकता का प्रबंधन	
	मॉड्यूल 3 : प्रलेखन और रिपोटिंग को पूरा करना	
यूनिट तीन : व्यक्तिगत कुशलक्षेम और सतत् शिक्षा बनाए रखना	मॉड्यूल 1 : व्यक्तिगत कुशलक्षेम की निगरानी और उसे बनाए रखना	30
	मॉड्यूल 2 : निरंतर सुधार की आयोजना और निगरानी	
	कुल घंटे	**135**

के पी ए/ चरण		अधिगम परिणाम	व्यवहारिक	सैद्धांतिक	कुल
आई सीडी	1	प्रासंगिक समावेशी विकास सिद्धांतों को समझता है। दिव्यांगता पर बाधाओं का प्रभाव स्पष्ट करता है। समुदाय समावेशन अधिदेश की निहित संगत विधियों को स्पष्ट और उनका प्रलेखन करता है। सशक्तिकरण और स्व–प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों का वर्णन करता है। परिवारों को अधिक से अधिक संबंध के लिए प्रोत्साहित करता है। पीआरए की व्याख्या करता है और मुख्य हितधारकों को मैप करता है।	10	30	40
	2	वर्तमान पहुंच पर डेटा एकत्र करता है, समुदाय वंचन में योगदान करने वाले कारकों की पहचान करता है, नकारात्मक दृष्टिकोण का मुकाबला करने के लिए तर्क मुहैया करवाता है। भिन्न दिव्यांगता स्थितियों के लिए सही वैधानिक प्रावधान को लागू करता है और लोगों को उपयुक्त पात्रता से जोड़ता है, जिनमें पहुंचना कठिन हो शामिल है। कार्यक्रमों की सशक्तिकरण विशेषताओं का वर्णन करता है। दिव्यांगजनों के साथ अपनी स्वयं की प्रैक्टिस, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और दिव्यांगजनों के नेतृत्व को प्राप्त करते हुए एक सशक्त दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। अंतर–क्षेत्रक समावेशन को बेहतर बनाने के लिए गांव के अग्रणियों को प्रोत्साहित करता है। समुदाय के लिए शिविरों और संसाधनों को लाने में सहायता करता है। रणनीतिक सामुदायिक मैपिंग की आयोजना बनाता है और उसे पूरा करता है।	30	20	50
	3	ग्रामीण स्तर पर अनुपालन पर रिपोर्ट देता है। जिम्मेदारियों के बारे में फ्रंटलाइन अग्रणियों को मनाता है। अभियान चलाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है। सटीकता से विधान को लागू करके सामुदायिक परिवर्तन को सुकर बनाता है। दिव्यांगता पर सामुदायिक दृष्टिकोण की तुलना करता है और समावेश के लिए चर्चा करने के लिए इनका उपयोग करता है। पीआरए के माध्यम से समुदाय का संचालन और मार्गदर्शन करता है। डीपीओ में क्षमता का समर्थन और निर्माण करता है, उन्हें अधिक स्व–प्रतिबद्ध तथा स्व–निर्देशित परामर्श के लिए सशक्त बनाता है।	50	10	60
ए और आई	1	एक शक्ति–आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। दिव्यांगता के अंधविश्वासी मत का प्रतिवाद करता है। प्रासंगिक वैधानिक विधियों और प्रावधानों को प्रलेखित करता है। बुनियादी सवालों के जवाब में सटीक जानकारी प्रदान करता है। दिव्यांगता प्रमाणन/यूडीडी सहित, निर्धारित प्रारूपों का उपयोग करते हुए मूल्यांकन परिणामों का प्रलेखन करता है। निम्न हित की जानकारी को सटीक और सम्मानजनक रूप से संप्रेषित करता है। बहु–क्षेत्रीय हस्तक्षेप में वर्णन और सहायता करता है। परिवार के सदस्यों के प्रशिक्षण में भाग लेता है। इस पर चर्चा करता है कि मौजूदा पारिवारिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कुशलक्षेम में सुधार के लिए अलग–अलग रणनीतियाँ बनाता हैं, उन स्थितियों की पहचान करता है जहाँ इनकी आवश्यकता हो सकती है।	10	30	40

के पी ए/ चरण		अधिगम परिणाम	व्यवहारिक	सैद्धांतिक	कुल
	2	कम स्पष्ट दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करता है। उन बुनियादी आकलनों का चयन और प्रशासन करता है जिसमें परिवार की शक्ति के प्रश्न शामिल होते हैं। रिपोर्ट बनाता है, सही रेफरल पथों की पहचान करता है, और उचित रूप से संदर्भित करता है। सीखी गई रणनीतियों का उपयोग करते हुए, संवेदनशील जानकारी का संप्रेषण करता है। सहयोगात्मक आयोजना और लक्ष्य–निर्धारण को सुकर बनाता है। समयबद्ध तरीके से संसाधनों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में बताता हैं। आवश्यकताओं की एक श्रृंखला के लिए मूलभूत हस्तक्षेपों का उपबंध करता है और अन्यों को प्रशिक्षित करता है।	30	20	50
	3	मानसिक रोग सहित दिव्यांगता की पहचान करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की 21 दिव्यांगताओं की समझ का उपयोग करता है। सटीकता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए कार्यात्मक आकलन को पूरा करता है। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए, परिवार में सहयोगात्मक आयोजना को सुकर बनाता है। योजनाओं में सामर्थ्य सम्मिलित करता है और मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके परिवार की संसाधन संपन्नता को सुकर बनाता है। उचित भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है और बेहतर समर्थन प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के व्यवहार को समायोजित करता है।	50	10	60
पीबी आरपी	1	निर्धारित प्रारूप के प्रति कार्य योजना तैयार करता है। निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करता है। टीम में विभिन्न कौशल सेटों परचर्चा करता है। आचार संहिता, विधि, नैतिक आवश्यकताओं के प्रासंगिक कोड का वर्णन करता है। दिव्यांगता के प्रति उत्तर पर चिंतन करता है और संभावित चुनौतियों की पहचान करता है। ज्ञान अंतराल के बारे में फीडबैक के लिए खुला है और पीडी के अवसरों को तलाशता है।	10	20	30
	2	कार्यभार का प्रबंधन करता है और योजनाओं को लागू करता है। दूसरों के साथ सहयोग करता है और सकारात्मक टीम के कार्यकरण को बढ़ावा देता है। जिम्मेदार और निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन करता है, गोपनीयता और पृष्ठभूमि का ध्यान रखता है। स्वयं के कुशलक्षेम के लिए जिम्मेदारी लेता है और समर्थन का उपयोग करता है। निरंतर शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाता है।	20	10	30
	3	दीर्घकालिक लक्ष्यों के विचार में योजनाएं बनाता है। बदलती हुई आवश्यकताओं का प्रबंधन करता हैं। सकारात्मक कुशलक्षेम व्यवहारों में शामिल होता हैं और ऐसा करने के लिए सक्रिय रूप से दूसरों का समर्थन करता हैं। विरोधी दृष्टिकोण के साथ कार्य करते समय निष्पक्षता प्रदर्शित करता है। एसओपी में नए अभ्यास निर्देशों और परिवर्तनों को समाहित करता है। भूमिका की विशेष जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जारी अधिगम के स्रोत ढूंढता है तथा उन्हें लेता है।	30	10	40
		कुल :	**240**	**160**	**400**

परीक्षा पैटर्न :

प्रत्येक चरण के लिए सिद्धांत और प्रायोगिक ब्यौरे और अधिगम परिणामों के सार के साथ परीक्षा पैटर्न अगले पृष्ठ पर दिया गया है। तीन के पी ए के संपूर्ण मूल्यांकन में 400 अंक होते हैं– सैद्धांतिक के लिए 160 अंक और प्रायोगिक के लिए 240 अंक। ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	के पी ए	सैद्धांतिक	प्रायोगिक	सकल योग
1	समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)	60	90	150
2	आकलन और हस्तक्षेप (ए एंड आई)	60	90	150
3	व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास	40	60	100
	कुल	**160**	**240**	**400**

प्रायोगिक

पाठ्यक्रम के अनुसार प्रमुख निष्पादन क्षेत्र (के पी ए)।

मूल्यांकन की योजना

एनबीईआर आरसीआई, 2018 की परीक्षाओं की योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार।

प्रमाण–पत्र दिया जाना

राष्ट्रीय पुनवार्स परीक्षा बोर्ड उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

प्रायोगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश :

मूल्यांकन के लिए व्यावहारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

1. प्रत्येक मॉड्यूल के लिए एक अलग व्यावहारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. हस्तलिखित प्रायोगिक रिकार्ड स्पाइरल बाउंड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. प्रायोगिक रिकॉर्ड स्थानीय भाषाओं में तैयार किए जा सकते हैं। इस तरह के रिकॉर्ड पर्यवेक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रत्येक कार्य के अंग्रेजी सारांश के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
4. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रायोगिक रिकॉर्ड किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शुल्क, आवेदन फार्म, दिशानिर्देश

पाठ्यक्रम शुल्क :

विवरण आरसीआई को वेबसाईट www.rehabcouncil.nic.in पर उपलब्ध है।

आवेदन फार्म :

आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in एवं अनुमोदित शिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

भारत की पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली

सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म को ध्यान से भरें और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में आवश्यक पत्राजात के साथ जमा करें। परीक्षाएं राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर), आर सी आई द्वारा आयोजित की जाएंगी। आवेदक परिषद की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर एनबीईआर की परीक्षा की योजना एवं विनियमों का विवरण देख सकते हैं।

फार्म संख्याँ :

अपना स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार (4×5 सेमी) का फोटो चिपकाएं

1. नामांकन संख्या

मैं सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानो में निम्नलिखित वरीयता क्रम में आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ।

प्रथम वरीयता **प्रशिक्षण संस्थान नाम (पूर्ण पता सहित)**

____

____

द्वितीय वरीयता **प्रशिक्षण संस्थान नाम (पूर्ण पता सहित)**

____

____

तृतीय वरीयता **प्रशिक्षण संस्थान नाम (पूर्ण पता सहित)**

____

____

1.	उम्मीदवार का नाम					
2.	पिता का नाम					
3.	माता का नाम					
4.	डाक का पूरा पता मकान संख्या के साथ, गली का नाम, पीओ, पिन कोड					
5.	जन्म तिथि (दिनांक/महीना/वर्ष)					
6.	राष्ट्रीयता					
7.	मोबाइल नंबर					
8.	वैकल्पिक मोबाइल नं.					
9.	ईमेल आई डी					
10.	आधार कार्ड संख्या					
11.	नौकरी पेशा हो या बेरोजगार कृपया टिक करें (✓)	हाँ ☐ नहीं ☐				
12.	यदि कार्यरत हैं तो, कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर लिखें।	पता : टेल नं.:				
13.	यदि एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से सम्बंधित हैं तो कृपया टिक (✓) करें, एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें	एससी ☐ एसटी ☐ ओबीसी ☐ पीडब्ल्यूडी ☐ ईडब्ल्यूएस ☐				
14.	**शैक्षणिक योग्यता का नाम**	**बोर्ड/विश्वविद्यालय**	**उत्तीर्ण वर्ष**	**विषय**	**प्राप्तांक %**	
	10वी					
	12वी					
	स्नातक					
	परास्नातक एवं उच्च योग्यता					
इस फॉर्म के साथ उपरोक्त कॉलम में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें						

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/ करतीं हूं कि मैंने सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। मैं न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता/करतीं हूं और इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी और पत्राजात प्रदान करता/करतीं हूं। किसी भी जानकारी के गलत या भ्रामक पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी आरसीआई या संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

स्थानः

दिनांकः उम्मीदवार के हस्ताक्षर

कृपया ध्यान दें

1. योग्यता और अन्य परीक्षाओं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र की छायाप्रति (विधिवत प्रमाणित) का 2 सेट।
2. जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस), यदि लागू हो

कार्यालय के उपयोग के लिए

द्वारा प्राप्त | डाक | हाथ

फॉर्म प्राप्ति की तिथि ____________________

प्रवेश के लिए पात्र/पात्र नहीं ____________________

अस्वीकृत करने का कारण ____________________

दिनांक : (प्रवेश प्रभारी का नाम एवं हस्ताक्षर
प्रशिक्षण संस्थान की मुहर सहित)

परीक्षा विवरण

क्र.सं.	विवरण	शुल्क	प्रशिक्षण संस्थान को देय शुल्क
1.	नामांकन शुल्क	रु. 500.00	रु. 500
2.	परीक्षा शुल्क	रु. 150.00	रु. 150 प्रति पेपर (सैद्धांतिक और व्यावहारिक)
3.	अंकतालिका शुल्क	रु. 50.00	रु. 50
4.	प्रमाणपत्र शुल्क	रु. 50.00	रु. 50
5.	कूरियर/डाक प्रेषण शुल्क और फोटोकॉपी शुल्क	रु. 110.00	रु. 110

नमूना प्रति

सीबीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पहचान पत्र

(प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा)

फोटोग्राफ

प्रशिक्षण संस्थान का नाम और पता: ....

....

नामांकन संख्या			
नाम			
जन्म तिथि			
आधार संख्या			
पत्राचार के लिए पता			
कार्यक्रम का नाम			
फ़ोन नंबर		फ़ोन नंबर	
ईमेल आईडी			
जारी करने की तिथि		तक वैध है	

(प्रशिक्षण संस्थान के हस्ताक्षर और मुहर)

प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार सूची परिषद् की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर उपलब्ध है।

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
भारत सरकार

बी–22, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली–110016
टेलि फोन: **+91-11-26532408, 26534287**; फैक्स: **+91-11-26534291**
ई–मेल: **rci-depwd@gov.in**
वेबसाईट: **www.rehabcouncil.nic.in**

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)